

**फैमिली चाइल्ड केयर होम्स**  
**बदली के व्यक्ति/अतिरिक्त वयस्क/स्वयंसेवक ओरिएन्टेशन सत्यापन**

फैमिली चाइल्ड केयर विनियम, COMAR 13A.15.06.03E, के अनुसार आवश्यक है कि चाइल्ड केयर प्रदाता बदली के व्यक्तिओं को देखभाल प्रदान करने की अनुमति दे या देखभाल प्रदान करने में सहायता करने की अनुमति दे उससे पहले उन्हें बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में कुछ मूलभूत जानकारी प्रदान करें। COMAR 13A.15.06.05A(2) के अनुसार आवश्यक है कि बाल देखभाल प्रदाता किसी व्यक्ति को स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की अनुमति दे उससे पहले स्वयंसेवकों को उन्हीं बाल स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी मामलों में मूलभूत जानकारी दे। COMAR 13A.15.10.01.D के अनुसार आवश्यक है कि बदली का व्यक्ति और अतिरिक्त वयस्क लिखित आपात स्थिति और आपदा योजना में शामिल बातों में प्रशिक्षित हो। यह फॉर्म इस बात का सत्यापन प्रदान करता है कि बदली का व्यक्ति, अतिरिक्त वयस्क या स्वयंसेवक को आवश्यक मूलभूत जानकारी या प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं।

मुझे \_\_\_\_\_ निम्नलिखित विषयवस्तु पर इस दिन को जानकारी प्राप्त हुई \_\_\_\_\_, बदली का व्यक्ति, अतिरिक्त वयस्क या स्वयंसेवक को शामिल किए गए प्रत्येक विषयवस्तु के सामने आद्याक्षर करने चाहिए और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

- \_\_\_\_\_ टेलीफोन और आपात स्थिति टेलीफोन नंबरों का स्थान
- \_\_\_\_\_ हर बच्चे के आपातकालीन स्थिति फॉर्म का स्थान
- \_\_\_\_\_ बच्चे को (किसी के साथ) जाने देने की अधिकृत प्रक्रिया
- \_\_\_\_\_ प्राथमिक देखभाल सामग्री का स्थान
- \_\_\_\_\_ बच्चों को हुई चोटों और दुर्घटनाओं को दस्तावेज़ीकृत और रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं
- \_\_\_\_\_ आपात स्थिति में (मकान) खाली करने की प्रक्रिया
- \_\_\_\_\_ अनुमत और उपयुक्त बाल अनुशासन प्रक्रियाएं
- \_\_\_\_\_ दवाएं पाने को अधिकृत हर बच्चे को दवा देने संबंधी जानकारी
- \_\_\_\_\_ विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए निर्देश, यदि लागू होता हो
- \_\_\_\_\_ परिवर्तित आहार पर रखे गए हर बच्चे के लिए परिवर्तित आहार संबंधी जानकारी
- \_\_\_\_\_ देखभाल में रह रहे हर बच्चे का निरीक्षण और संरक्षण
- \_\_\_\_\_ फैमिली चाइल्ड केयर होम का संचालन

अन्य:

\_\_\_\_\_ आपात स्थिति और आपदा के लिए लिखित योजना की सामग्री। (बदली का व्यक्ति और अतिरिक्त वयस्क)

हस्ताक्षर

तिथि

प्रिंट किया हुआ नाम

बदली का व्यक्ति       स्वयंसेवक

D अतिरिक्त वयस्क